2124

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प्र.(द)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– धनसिंह टोली जलाशय योजना के स्पीलवे से हो रहे रिसाव का सुरक्षात्मक कार्य तथा डैम से संबंधित अन्य मरम्मति एवं संपोषण कार्य हेतु रू० 52.20 लाख (रूपये बावन लाख बीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन धनसिंह टोली जलाशय योजना के स्पीलवे से हो रहे रिसाव का सुरक्षात्मक कार्य तथा डैम से संबंधित अन्य मरम्मति एवं संपोषण कार्य हेतु रू० 52.20 लाख (रूपये बावन लाख बीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. धनसिंहटोली जलाशय योजना गुमला जिले के बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम– कुरडेग के निकट खकराझोर नदी पर निर्मित है। इस योजनान्तर्गत एक डैम आउटलेट गेट है। इस योजना से एकमात्र मुख्य नहर निःसृत होती है जिसकी लम्बाई 11.58 कि०मी० है।

इस योजना का रूपांकित कुल खरीफ सिंचाई क्षमता 1725 हे० एवं रब्बी सिंचाई क्षमता 580 हे० है। इस योजना से गुमला जिला के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

4. विषयक स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :–

(i) डैम के स्पीलवे से हो रहे रिसाव को रोकने हेतु इसके मरम्मति का कार्य,

(ii) इसके अन्तर्गत डैम की सुरक्षा हेतु रेन कट भराई, Jungle Clearance in Canal (झाड़ी सफाई), बर्म ड्रेन, स्लोप ड्रेन, सीढ़ी की मरम्मति का कार्य,

(iii) स्पीलवे से निकलने वाले पानी नदी में जाता है। इससे संभावित कटाव से सुरक्षा हेतु गार्ड वाल निर्माण कार्य,

(iv) डैम के शीर्ष पर पारापेट वॉल मरम्मति, मूरम भराई, हेड रूम में रेलिंग निर्माण एवं रंगाई पुताई डैम के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम पर आवश्यक Boulder Pitching कार्य।

5. धनसिंह टोली जलाशय योजना के स्पीलवे से हो रहे रिसाव का सुरक्षात्मक कार्य तथा डैम से संबंधित अन्य मरम्मति एवं संपोषण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 52.20 लाख के प्राक्कलन की अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला द्वारा तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) प्रदान की गयी है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गुमला निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रारंभ कर जून 2021 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

8. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-46-05-45)

9. वर्ष 2020–21 के लिये बजट में सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

i) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 46 – 05 – 45 में रू० 523.00 लाख

10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

11. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/11/20

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प०(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प०(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गुमला कोषागार, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प०(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, गुमला/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प०(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–434/2016– 06/20-21 प०(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

महालेखाकार, झारखण्ड को संसूचित किये जाने वाले राज्यादेश के सम्बन्ध में जाँच पत्र

1.	विभाग का नाम	:	जल संसाधन विभाग
2.	संचिका संख्या	:	पत्रांकः 3 पी०एम०सी० / प्रशासनिक–37 / 12–13
3.	प्रस्ताव	:	जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत रू० 18918156.00 (एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।
4.	प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश द्वारा राजपत्रित पद का सृजन अथवा अवधि विस्तार किया गया अथवा नहीं यदि हॉ तो क्या दो प्रतियों में भेजी जा रही है।	:	नहीं
5.	प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई या नहीं	:	झारखण्ड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 802 राँची दिनांक 18.03.2005 के आलोक में प्रस्ताव का समावेश वर्ष 2020–21 के योजना बजट में है। संगत कार्य हेतु बजट उपबंध प्राप्त है।
6.	वित्त विभाग में प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	:	—
7.	महालेखाकार, झारखण्ड को संसूचित किये जाने वाले पत्र की संख्या एवं तिथि	:	
8.	यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 तक में दिये गये विवरण ठीक है एवं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश इसके पूर्व संसूचित करने हेतु वित्त विभाग को नहीं भेजा गया है।		

सचिव,
जल संसाधन विभाग

नोटः उपसचिव के स्तर के पदाधिकारियों से नीचे स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।